पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01- शोभाराम 02- फूचन्द पुत्रगण दर्शन निवासीगण बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री सूर्यभान यादव, का० संदीप यादव, कमलेश यादव। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता शान्ति पुत्री बैजनाथ कहार निवासी टेडुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, म0का0 खुशबू सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3308 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत कुरिमयान मछली खास से इवेंट सं0 30461 से कालर अल्हा ने मो0न0 8756691442 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारिपीट/विवाद होने के कारण 03 व्यक्तियों (01- अल्हा पुत्र रामस्वरूप, ग्राम महिलवार थाना खजनी 02- निखिल पुत्र श्रीनाथ, 03- सोहन पुत्र रामहिर ग्राम पचैरी, थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी किमेंयों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को श आन्त कराकर मारिपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी किमेंयों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारिपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 हरिओम यादव, का0 उपेन्द्र खरवार, हो0चा अवधेश।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 47 वाहनों से 32,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 47 वाहनों से 32,500 रू० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थानों पर लगवाये गये 08 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र* हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 19.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना बिखरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।